संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में परिहार्य व्यय, नियमों, डायरेक्टिवज तथा प्रक्रियाओं का पालन न करने, वित्तीय हितों को सुरक्षित न करने इत्यादि से संबंधित ₹ 4,739.28 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित 'दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर तथा राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, खेदड़, हिसार की कार्यप्रणाली' तथा 'कस्टम मिल्ड राईस' पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा 15 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में

हरियाणा राज्य में 25 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) (23 कंपनियां तथा दो सांविधिक निगम) और 5 अकार्यरत कंपनियां थी जिनमें 31,248 कर्मचारी नियुक्त थे। 31 मार्च 2015 को 30 सा.क्षे.उ. में निवेश (पूंजीगत एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 40,984.19 करोड़ था। राज्य सा.क्षे.उ. के कुल निवेश का 99.42 प्रतिशत कार्यरत सा.क्षे.उ. में था तथा शेष 0.58 प्रतिशत अकार्यरत सा.क्षे.उ. में था। कुल निवेश में पूंजीगत का 21.27 प्रतिशत तथा दीर्घ अवधि ऋणों का 78.73 प्रतिशत शामिल था। विद्युत क्षेत्र ने कुल निवेश का 91.95 प्रतिशत तक परिगणित किया। राज्य सरकार ने 2014-15 के दौरान 13 सा.क्षे.उ. में इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/परिदानों के लिए ₹ 5,579.23 करोड़ का अंशदान दिया।

(अनुच्छेद 1.6, 1.7 तथा 1.8)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

25 कार्यरत सा.क्षे.उ. की, उनके नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार, समग्र हानियां ₹ 2,632.04 करोड़ रहीं। 25 कार्यरत सा.क्षे.उ. में से 16 सा.क्षे.उ. ने ₹ 981.67 करोड़ का लाभ सूचित किया तथा सात सा.क्षे.उ. ने ₹ 3,613.71 करोड़ की हानि सूचित की। आगे, राज्य सरकार की लाभांश नीति के अनुसार सभी सा.क्षे.उ. ने राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई दत्त शेयर-पूंजी पर कम से कम चार प्रतिशत वापसी अदा करनी है। ₹ 981.67 करोड़ का कुल लाभ अर्जित करने वाले 16 सा.क्षे.उ. में से केवल तीन सा.क्षे.उ. ने ₹ 6.25 करोड़ का लाभांश घोषित किया तथा 13 सा.क्षे.उ. ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया ।

(अनुच्छेद 1.16 तथा 1.18)

लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया

सितंबर 2015 को 19 कार्यरत सा.क्षे.उ. के 36 लेखे बकाया थे। लेखाओं के अंतिमकरण तथा उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि किए गए निवेश और व्यय उचित रूप से परिगणित किए गए हैं तथा वह प्रयोजन जिसके लिए राशि निवेश की गई थी, प्राप्त किया गया है अथवा नहीं तथा इस प्रकार, ऐसे सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश राज्य विधान सभा के नियंत्रण से बाहर रहता है।

(अनुच्छेद 1.10 तथा 1.11)

2 सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के 'दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर और राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, खेदड़, हिसार की कार्यप्रणाली' तथा हरियाणा राज्य भण्डारण निगम और हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड में 'चावल की कस्टम मिलिंग' की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर और राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, खेदड़, हिसार की कार्यप्रणाली

डी.सी.आर.टी.पी.पी. और आर.जी.टी.पी.पी. का परिचालन निष्पादन हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) द्वारा नियत मानकों की तुलना में त्रुटिपूर्ण था। प्लांट लोड फैक्टर की अनुपलब्धि और ₹ 186.02 करोड़ के अधिक द्वितीयक ईंधन तेल के उपभोग और सहायक विद्युत-उपभोग के कारण 2010-15 के दौरान ₹ 1,508.64 करोड़ की स्थाई लागत की अवसूली थी।

(अनुच्छेद 2.1.7.1, 2.1.7.2 और 2.1.7.3)

कंपनी ने अपूर्ण कार्यों की लागत की वसूली न करके और अदेय भुगतान करके ठेकेदार को ₹ 229.32 करोड़ का अदेय लाभ दिया।

(अनुच्छेद 2.1.8.1)

2010-15 के दौरान डी.सी.आर.टी.पी.पी. में हुए 26824:46 घंटों की 134 कटौतियों के परिणामस्वरूप ₹ 6,840.12 एम.यूज की उत्पादन हानि हुई तथा समयपूर्व ओवरहालिंग के परिणामत: ₹ 11.05 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 2.1.8.2)

आर.जी.टी.पी.पी. में अभियांत्रिकी, खरीद तथा निर्माण (ई.पी.सी.) ठेकेदार को अदेय लाभ दिया गया क्योंकि लंबित निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से पहले ही इकाइयों को अस्थाई रूप से अधिकार में ले लिया गया था।

(अनुच्छेद 2.1.8.4)

कंपनी ने लोडिंग और अनलोडिंग बिंदुओं पर ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू (जी.सी.वी.) में विविधता के कारण कोयले की खरीद पर ₹ 567.13 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

(अनुच्छेद 2.1.9.1)

कंपनी ने श्रेणी में गिरावट, स्टोन दावे, अंडर लोडिंग दावे और कम उठान पर जुर्माने के तौर पर ₹ 48.49 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(अनुच्छेद 2.1.9.2, 2.1.9.3, 2.1.9.4 तथा 2.1.9.8)

हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (एच.एस.डब्ल्यू.सी.) और हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (एच.ए.आई.सी.) में 'चावल की कस्टम मिलिंग'

एच.ए.आई.सी. ने 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमश: 75 तथा 47 प्रतिशत मामलों में मापदण्डों के अनुसार मिलर्ज को धान आबंटित नहीं किया। इसी प्रकार, एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने भी 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमश: 29 तथा 14 प्रतिशत मामलों में मापदण्डों के अनुसार मिलर्ज को धान आबंटित नहीं किया।

(अनुच्छेद 2.2.6)

खरीफ मार्केटिंग सीजन (के.एम.एस.) 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान, 19 मिलर्ज जिन्हें 8.45 लाख क्विंटल धान आबंटित किया गया था, उनके द्वारा 1.64 लाख क्विंटल चावल डिलीवर नहीं किया गया तथा उनसे 30 सितंबर 2015 तक ₹ 52.06 करोड़ वसूलनीय थे।

(अनुच्छेद 2.2.7.1)

एफ.सी.आई. ने 2010-13 की अवधि के लिए ₹ 8.24 करोड़ के किए गए दावों की प्रतिपूर्ति नहीं की क्योंकि खरीद एजेंसियां (पी.एज) अभिरक्षा तथा रख-रखाव प्रभारों पर किए गए व्यय के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकीं।

(अनुच्छेद 2.2.8.1)

धान की मिलिंग में देरी के कारण ₹ 0.93 करोड़ तथा एफ.सी.आई. को इस आशय के प्रमाण-पत्र कि ड्राईएज की राशि मिलर्ज को पी.एज द्वारा वास्तव में भुगतान कर दी गई थी, के प्रस्तुतिकरण में विलंब के कारण पी.एज ने ₹ 0.63 करोड़ के ब्याज की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 2.2.7.3 तथा 2.2.8.7)

पी.एज में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी तथा उनके परिचालनों के आकार के अनुरूप नहीं थी। पी.एज के पास प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों का वर्णन करने के लिए कोई अकाउंटस मैनुअल नहीं था। एच.ए.आई.सी. ने राज्य सरकार के निर्देशों के उल्लंघन में मिलर्ज के पास संयुक्त अभिरक्षा में रखे हुए चावल तथा धान के स्टाक का अनिवार्य भौतिक सत्यापन नहीं किया।

(अनुच्छेद 2.2.10.1)

3 लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

प्रतिवेदन में शामिल लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां राज्य सरकार की कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के प्रबंधन में हुई त्रुटियों को रेखांकित करती हैं, जिनमें गंभीर वित्तीय इंपलीकेशनस थी। महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

- कंपनी ने 21,631.43 मीट्रिक टन आयातित कोयलों पर जो प्राप्त नहीं हुआ था, रेलवे भाड़ा, कस्टम डयूटी, स्टांप डयूटी तथा पोर्ट चार्जिज के प्रति ₹ 4.71 करोड़ का भुगतान किया।

(अनुच्छेद 3.2)

- कंपनी ने आयातित कोयला पर, जो गारंटिड विशिष्टताओं से कमतर थी, एक फर्म को ₹ 2.10 करोड़ की अधिक कस्टम डयूटी भुगतान की।

(अनुच्छेद 3.3)

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

- शुल्क दर आदेशों के अननुरूप श्रेणियों के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति के कारण कंपनी ₹ 2.70 करोड़ के राजस्व से वंचित रही।

(अनुच्छेद 3.5)

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

- अनलोडिंग के समय सकल कैलोरिफिक मूल्य (जी.सी.वी.) की तुलना में खपत के समय आयातित कोयले के जी.सी.वी. में ह्रास के कारण **हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र** ने ₹ 75.39 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया।

(अनुच्छेद 3.6)

- डिस्कोम्ज ने अनुबंध की अनियमित निरस्तगी और ठेकेदारों को अधिक भुगतान के कारण ₹ 33.51 करोड़ की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 3.7)

हरियाणा राज्य औद्योगिक और मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

- कंपनी ने विस्तारण फीस पर ब्याज प्रभारण न करके एक आबंटी को ₹ 1.89 करोड़ का अनुचित लाभ अनुमत किया।

(अनुच्छेद 3.9)

- उद्धृत कीमत की अस्वीकृति के प्रावधान के परिणामस्वरूप बोली प्रक्रिया में विषमता आई जिसके कारण ₹ 1.27 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.10)

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

कंपनी ने गेहूं स्टाक के अवैज्ञानिक और अनुपयुक्त परिरक्षण के कारण ₹ 7.89 करोड़ की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 3.12)

हरियाणा राज्य सड़क तथा पुल विकास निगम लिमिटेड

कंपनी ने पांच राज्य राजमार्गों के राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित होने के बावजूद हरियाणा मैकेनिकल वाहन (टोल-उद्ग्रहण), अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹ 29.31 करोड़ के टोल लगाना और एकत्र करना जारी रखा।

(अनुच्छेद 3.13)

हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड

कंपनी ने वर्ष 2012-13 से अपनी मूल गतिविधियों में परिचालनात्मक हानियां उठानी शुरू कर दी तथा इसने 2014-15 में उच्च खाद्य तथा ईंधन लागत, उच्च मानवशक्ति लागत, नवीन मार्केटिंग योजना की कमी तथा अपने कॉम्पलैक्सों पर सेवाओं की निम्न गुणवत्ता के कारण ₹ 5.44 करोड़ की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 3.14)